सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 481 राँची, सोमवार, 19 आषाढ़, 1938 (श०)

10 जुलाई, 2017 (ई०)

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

24 अप्रैल, 2017

विषयः- झारखण्ड राज्य में राजकीय उच्च पथ (State Highways), वृहद जिला पथ (Major District Road) एवं अन्य जिला पथों (Other District Road) के Right of Way में Utilities बिछाने हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत करने एवं समुचित फीस उदग्रहित करने के संबंध में पथ निर्माण विभाग के ज्ञापांक-6578(S) दिनांक 10 सितम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत संकल्प में संशोधन करने के संबंध में ।

संख्या- प०नि०वि०-6 विविध-12/2017 2262(S)-- उपर्युक्त संकल्प द्वारा पथों के समानान्तर अथवा आर-पार, Right of Way में लोकोपयोगी सेवाओं (Public Utility Services) जैसे Water Supply Lines, Sewer Lines, Storm Water Drains, Electric Cables, Gas Pipeline इत्यादि के अधिष्ठापन के निमित्त अनुज्ञप्ति हेतु शर्त निर्धारित है । यह संकल्प झारखण्ड राजमार्ग अधिनियम, 2005 (झारखण्ड

अधिनियम 07, 2006) एवं तत्पश्चात् झारखण्ड राजमार्ग (संशोधित) अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम सं० 23, 2011) की धारा-25 'ख' के प्रावधान अन्तर्गत निर्गत है ।

2. उपयोगी सेवाओं हेतु उपर्युक्त निर्गत संकल्प में अनुज्ञप्ति उदग्रहण का प्रावधान निम्नवत् है:-

7(i) उपयोगी सेवा हेतु अपेक्षित भूमि के क्षेत्रफल पर भूमि के विद्यमान बाजार कीमत की 10 प्रतिशत की दर से अनुज्ञप्ति निर्गत करने के समय एक बार अनुज्ञप्ति शुल्क उदग्रहित एवं तत्पश्चात् प्रत्येक तीन वर्ष पर उक्त राशि का 15 प्रतिशत की दर से अधिभारित की जाएगी । अनुज्ञप्ति 25 वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी । विभिन्न उपयोगी सेवाओं के लिए अपेक्षित भूमि की गणना आवश्यकतानुसार की जायेगी ।

10(iv) कंडिका-7(i) में वर्णित भूमि का बाजार दर वर्ष 2010-11 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रू० 250/- वर्ग मीटर, नगरपालिका क्षेत्रों के लिए 500/वर्ग मीटर तथा शहरी क्षेत्र जिसकी जनसंख्या वर्ष 2001 जनगणना के आधार पर 10 लाख से अधिक है के लिए रू० 1000/ वर्ग मीटर दर लागू होगी । यह दर भविष्य के वर्षों के उक्त दर पर Wholesale Price Index की वृद्धि के अनुपातिक बढ़ायी जाएगी । उपरोक्त औसत दर किसी विशिष्ट क्षेत्र में बाजार दर को पूर्णतः दर्शाता है अथवा नहीं को प्रश्नगत करने का अधिकार किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को नहीं होगा ।

3. भारत सरकार के Department of Industrial Policy & Promotion के Business Reforms Action Plan अंतर्गत झारखण्ड राज्य में सेवाओं को सुविधाजनक बनाये जाने के हेतु सरकार द्वारा Ease of doing business का निर्णय लिया गया है । इसके परिपेरक्ष्य में अनुज्ञप्ति मुहैया कराने हेतु Single Window System के तहत् प्रक्रिया यथा application, payment, document submission, approval इत्यादि को Online किया जाना है ।

4. उक्त संकल्प के 10(iv) में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रू० 250/- वर्ग मीटर, नगरपालिका क्षेत्रों के लिए 500/वर्ग मीटर तथा शहरी क्षेत्र जिसकी जनसंख्या वर्ष 2001 जनगणना के आधार पर 10 लाख से अधिक है के लिए रू० 1000/ वर्ग मीटर दर वर्णित है किंतु Rural/Municipal/Urban क्षेत्र के clear demarcation नहीं रहने के कारण फीस की गणना में कठिनाई को देखते हुये अनुज्ञप्ति देने के लिये सभी क्षेत्रों यथा Rural/Municipal/Urban के लिये एक दर निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है । ऐसे में प्रक्षेत्र की कोटी आधारित गणना के सरलीकरण तथा व्यवहारिकता के मद्देनजर ग्रामीण, नगर निकाय एवं शहरी प्रक्षेत्र हेतु औसत दर को गणना में प्रयुक्त किया जाना श्रेयष्कर है ।

5. उपरोक्त परिस्थिति में संकल्प संख्या 6578(S) WE दिनांक 10 सितम्बर, 2012 के कंडिका 10 (iv) में संशोधन आवश्यक है ।

6 अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार करते हुये राजकीय उच्च पथ, वृहद जिला पथ एवं अन्य जिला पथों के ROW में उपयोगी सेवायें बिछाने हेतु संकल्प संख्या 6578(S) WE दिनांक 10 सितम्बर, 2012 के कंडिका 10 (iv) के प्रावधान को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"कंडिका 7(i) में वर्णित भूमि का बाजार दर वर्ष 2016-17 में 340 रूपये प्रति वर्ग मीटर दर लागू होगा। यह दर भविष्य के वर्षों में उक्त दर पर Wholesale Price Index (WPI) की वृद्धि के अनुपातिक बढ़ायी जायेगी । उपरोक्त दर किसी क्षेत्र में बाजार दर को पूर्णतः दर्शाता है अथवा नहीं को प्रश्नगत करने का अधिकार किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को नहीं होगा । विभिन्न प्रकार की सेवाओं की अधिष्ठापन के लिए प्रयुक्त क्षेत्र की गणना संकल्प संख्या 6578(S) WE दिनांक 10 सितम्बर, 2012 के अनुलग्नक में दिए गए सिद्धांतों के अनुरूप की जाएगी ।"

विषयगत संकल्प संख्या 6578(S) WE दिनांक 10 सितम्बर, 2012 एवं पूर्व में किये गये संशोधन हेतु निर्गत संकल्प संख्या 1861(S) दिनांक 7 मार्च, 2013 के अन्य सभी शर्त यथावत् रहेंगे ।

मस्त राम मीणा,
सरकार के सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

,

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 481--200